(184)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर खण्डपीठ रीवा

Rs. 30/-

रमेश शुक्ला S/o श्री श्यामसुन्दर शुक्ला निवासी ग्राम मरैहा तह- रायपुर
अध्यक्ष कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिमिटेड़ पड़रिया, द्वारा अध्यक्ष

निग. रीवा
2017/2066

———आवेदक

बनाम

शिवमूरत प्रसाद तनय सुखदेव मिश्र, निवासी ग्राम पड़रिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

———अनावेदक

अधि0 श्री हेमकुमार अग्निहोत्री द्वारा पेश। 30.6.17

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार साहब तहसील रायपुर कर्चुलियान, दिनांक 24/04/2017 पारित राजस्व प्रकरण क्र0–11/अ–70/2016–17 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

प्रार्थना–पत्र निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 24/04/2017 जिसके द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता का मूल आवेदन में आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी के अनुसार संशोधन करने का आवेदन निरस्त कर दिया गया है जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि निगरानीकर्ता द्वारा जो मूल आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया था उसमें अनावेदक द्वारा सेवा सहकारी समिति के गोदाम को क्षति पहुंचाने के इरादे से भूमि नं0–982 में मकान निर्माण करने की बुनियाद की खोदाई करना शुरू किया तथा संस्था के द्वारा निर्मित दो पिलर जो दीवाल के सहारा देने के थे, उन्हे गिरा दिया इसलिये अर्जी नवीस के बताये अनुसार समिति के अध्यक्ष ने

अध्यक्ष
रमेश शुक्ला

184

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 2066 जिला–.रीवा

रमेश शुक्ला / शिवमूरत प्रसाद

(1)	(2)	(3)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री हेमकुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

अध्यक्ष